झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्रशा०स्वी०/124/2013/ ..../राँची, दिनांक ....

प्रेषकः

ई० सुबोध कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषयः जल संसाधन विभाग के अधीन मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका प्रक्षेंत्राधीन हथिया पोखर, अजमेरी बांध एवं दलाही मोदी बांध जीर्णोद्वार कार्य हेतु रू० 148.587 लाख (एक करोड़ अढ़तालीस लाख अन्ठावन हजार सात सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2 जल संसाधन विभाग के अधीन मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका प्रक्षेंत्राधीन हथिया पोखर, अजमेरी बांध एवं दलाही मोदी बांध जीर्णोद्वार कार्य हेतु रू० 148.587 लाख (एक करोड़ अढ़तालीस लाख अन्ठावन हजार सात सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3 स्वीकृत तीन अदद् योजनाओं के प्रावधानित कार्य, प्राक्कलित राशि पुनजीर्वित सिंचन क्षमता इंसीडेन्स ऑफ कॉस्ट इत्यादि परिशिष्ट–I एव परिशिष्ट–II में अंकित है।

4 स्वीकृत तीन अदद् योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्त्तों के साथ प्रदान की जाती है।

(i) पुनर्स्थापन कार्य के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जायगा एवं उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराया जायगा।

(ii) नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री० लेवल माप पुस्त में अंकित किया जायगा एवं इसकी शत प्रतिशत जांच सहायक अभियंता के द्वारा तथा पचास प्रतिशत जांच कार्यपालक अभियंता द्वारा करना सुनिश्चित किया जायगा।

(iii) इन योजनाओं के पुनर्स्थापन कार्य के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व जल उपभोक्ता समिति का होगा। अगर कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति जल उपभोक्ता समिति से प्राप्त नहीं होगा। उस स्थिति में स्थल पर योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा।

(iv) इन योजनाओं के पुनर्स्थापन कार्य E-Tendering के माध्यम से कराया जाएगा।

(v) योजनाओं के कार्यान्वयन् के पूर्व मुख्य अभियंता, लघु सिचाई दुमका द्वारा 4 (ii) (iii) & (iv) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5 इन योजनाओं के पुनर्स्थापन कार्य से कुल 189 हे० (खरीफ 136 हे० एवं रब्बी 58 हे०) क्षेत्र में सिंचाई क्षमता के पुनर्जीवित होगी।

6 इन योजनाओं का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2014–15 में पूर्ण किया जाएगा।

7 इस कार्य पर होने वाला व्यय निम्न रूपये भारित होगाः–

(क) परिशिष्ट–I के अनुसार एक अदद् योजनाओं पर होने वाला व्यय की राशि बजट "शीर्ष 4702–लघु सिंचाइ पर पूंजीगत परिव्यय– 101 सतही जल–20–पुरानी लघु सिंचाई योजना का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य 05–निर्माण, 43–अनुरक्षण मरम्मति एंव सुसज्जीकरण" अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा।

(ख) परिशिष्ट–II के अनुसार दो अदद् योजना पर बजट शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना–20–पुरानी लघु सिंचाई योजना का सम्पोषण एंव पुनर्स्थापन कार्य 05–निर्माण, 43–अनुरक्षण मरम्मति एंव सुसज्जीकरण" अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा।

8 इस कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गोडड्ा/दुमका निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका नियंत्रण पदाधिकारी होंगे।

9 इन कार्यो के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10 झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

11 किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

12 प्रस्तावित कार्य का समावेश वर्ष 2013–14 के स्वीकृत बजट में है।

13 प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।

14 स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15 इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्रशा०स्वी०/124/2013/ ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनुः–यथोक्त।

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्रशा०स्वी०/124/2013/ ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार, पदाधिकारी, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनुः–यथोक्त।

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्रशा०स्वी०/124/2013/ ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्रशा०स्वी०/124/2013/ ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्रशा०स्वी०/124/2013/ ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदया, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/प्रशा०स्वी०/124/2013/ 66/13-14 प्र.स्वी. **/राँची, दिनांक** 17.01.2014

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

17/01/14

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

17/01/14

पत्रांक 66/13-14 प्र०स्वी० दिनांक 17.01.2014

परिशिष्ट–I

मुख्य अभियंता लघु सिंचाई दुमका द्वारा स्वीकृत योजना की विवरणी:–

बजट शीर्ष 4702–101(**OSP**)–20–05–43 अंतर्गत

(राशि लाख में)

क्र०	योजना का नाम	जिला	प्रखण्ड	ग्राम	मुख्य कार्य का विवरणी	प्राक्कलित राशि	सृजित सिंचन क्षमता हे०			Incidence of Cost/ha
							खरीफ	रब्बी	कुल	
1	3	6	5	4	7	7			8	9
1	हथिया पोखर का जीर्णोद्धार	गोडड्डा	पोरैयाहाट	पसई	योजना का गहरीकरण दो अदद् Outlet का निर्माण एंव Spillway का पुनर्स्थापन इत्यादि।	29.965	16	8	24	124854
	कुल					**29.965**	**16**	**8**	**24**	

17/01/14
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)
17/01/14

3_124_13

Jan

पत्रांक 66/13-14 प्र.स्वी. दिनांक 17.01.2014

परिशिष्ट–II

मुख्य अभियंता लघु सिंचाई दुमका द्वारा स्वीकृत योजनाओं की विवरणी:–

बजट शीर्ष 4702–796 (TSP)–20–05–43 अंतर्गत

(राशि लाख में)

क्र०	योजना का नाम	जिला	प्रखण्ड	ग्राम	मुख्य कार्य का विवरणी	प्राक्कलित राशि	सृजित सिंचन क्षमता हे०			Incidence of Cost/ha
							खरीफ	रब्बी	कुल	
1	3	6	5	4	7	7			8	9
1	अजमेरी बांध का जीर्णोद्वार	दुमका	मसलिया	अजमेरी	योजना का गहरीकरण तीन अदद् Outlet का निर्माण, सिंचाई नाला (1000 फीट) का निर्माणं	90.573	70	25	95	95340
2	दलाही मोदी बांध का जीर्णोद्वार	दुमका	मसलिया	तसरिया	योजना का गहरीकरण तीन अदद् Outlet का निर्माण एंव एक अदद् Scape का जीर्णोद्वार	28.049	50	20	70	40070
	कुल					**118.622**	**120**	**45**	**165**	

17/01/14

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)
17/01/14